

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक 43(50)-नगरीय/2012

दिनांक 12-09-2012

21 SEP 2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.06.2012 के क्रम में, निर्देश जारी करती है कि समस्त स्थानीय प्राधिकारियों, (जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/समस्त नगर विकास न्यास/समस्त संबंधित नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल) द्वारा औद्योगिक प्रयोजनाथ 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

(आर0के0परीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय